**राजस्थान सरकार**
**वित्त(कर) विभाग**

क्रमांक F.24(3)/FD/Tax/2024-103 दिनांक 20.11.2024

## आदेश

विषयः– फिल्म "The Sabarmati Report" को प्रवेश हेतु देय राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी ) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के संबंध मे।

फिल्म "The Sabarmati Report" को मल्टीप्लैक्स / सिनेमाघरों में प्रवेश हेतु देय राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी ) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के संबंध में निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन राज्य माल एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति किये जाने का निश्चय किया गया हैः–

(1) फिल्म के प्रदर्शन के लिए संबंधित सिनेमा/ मल्टी प्लेक्स की प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं की जा सकेगी और न ही विभिन्न क्लासों की आसन क्षमता में परिवर्तन किया जायेगा।

(2) पंजीकृत करदाता (मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघर) द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियत अवधि के अन्दर प्रदर्शित होने वाली फिल्म के दौरान, एस.जी.एस.टी. की धनराशि को घटाकर दर्शकों को टिकटों का विक्रय किया जायेगा।

(3) फिल्म पर आगणित राज्य माल और सेवा कर की धनराशि, पंजीकृत करदाता (मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघर) द्वारा अपने पास से, राजकोष में उसी विहित प्रक्रिया के अनुसार जमा की जायेगी जैसे इस आदेश के अतिरिक्त प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों हेतु विहित है।

(4) पंजीकृत करदाता (मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघर) द्वारा दर्शकों से एसजीएसटी की वसूली यदि कर ली गई है तो उसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

(5) मुख्य आयुक्त, राज्य कर द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन एवं प्रक्रिया के संबंध में पृथक से दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे।

(6) उक्त आदेश जारी किये जाने की तिथि से 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. खुशाल यादव)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (कराधान) महोदय।
2. मुख्य आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान, जयपुर।
3. महालेखाकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव